फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजिकृत कार्यालय यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल, A wing, नवभारत एस्टेट, जकारिया बन्दर रोड, सेवरी, मुम्बई – 400015 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राम धुधवाल

– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री छगनलाल कान्नीराम गायरी,
   निवासी :–
   (अ) 3 / 12, भवानी चॉल, राजेश कम्पाउण्ड, प्रथम तल, एस.वी.रोड., दहिसर पूर्व दहिसर पश्चिम, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400068
   (ब) एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 **(ऋणी व बंधककर्ता)**

2. श्रीमती हेमलता
   निवासी :–
   (अ) 3 / 12, भवानी चॉल, राजेश कम्पाउण्ड, प्रथम तल, एस.वी.रोड., दहिसर पूर्व दहिसर पश्चिम, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400068
   (ब) एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 **(सह–ऋणी)**

3. श्री रोशन लाल गायरी,
   निवासी :–
   (अ) कुमारिया खेडा, नमन, नाथद्वारा, राजसमन्द, राजस्थान – 313323
   (ब) एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 **(जमानती)**

4. श्री काना लाल,
   निवासी :–
   (अ) मुख्य मार्ग, गायरीयों का मोहल्ला, खीमाखेडा, खेमा खेडा, कोठेरा, राजसमन्द राजस्थान – 313323
   (ब) एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 **(जमानती)**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 08/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.04.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिनांकः 03.03.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को वित्तीय संस्था ने खाता संख्या HL0000000017144 को दिनांक 23.07.2018 को ऋण रूपये 15,25,000/– एवं खाता संख्या HL0000000017976 को दिनांक 29.08.18 को ऋण रूपये 4,75,000/– कुल ऋण रूपये 20,00,000/– का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित मकान को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री छगनलाल कान्नीराम गायरी, की सम्पति जो कि एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 पर स्थित हैं। जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – मकान नं. 16, पश्चिम – मकान नं. 18, उत्तर – मकान नं. 41, दक्षिण – रास्ता 30 फिट चौडा। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर अप्रार्थीगण के खाता संख्या HL0000000017144 एवं खाता संख्या HL0000000017976 को दिनांक 29.02.2020 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं।अप्रार्थीगण के खाता संख्या HL0000000017144 में बकाया रूपये 15,00,429/– एवं खाता संख्या HL0000000017976 में बकाया रूपये 4,63,266/– कुल बकाया रूपये 19,63,695/–(अक्षरे रूपये उन्नीस लाख तिरेसठ हजार छः सौ पिचनावे मात्र) दिनांक 29.02.2020 तक व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11/03/2020 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद उन्हे देय राशि का भुगतान प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को नही दिया। परन्तु नोटिस प्रप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही, बंधकशुदा संम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

दिया गया। एक्ट की धारा 14 के अर्न्तगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वित्तीय संस्था सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सूचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण(नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। वित्तीय संस्था सिक्योरिटीज का विवरण :– श्री छगनलाल कान्नीराम गायरी, की सम्पति जो कि एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 पर स्थित हैं। जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – मकान नं. 16, पश्चिम – मकान नं. 18, उत्तर – मकान नं. 41, दक्षिण – रास्ता 30 फिट चौडा। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 11.03.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री छगनलाल कान्नीराम गायरी, की सम्पति जो कि एल.आई.जी. मकान नं. के– 17, द्वारिका ब्लॉक – के, हाउसिंग बोर्ड, राजसमन्द, तहसील – राजसमन्द(राज.) 313342 पर स्थित हैं। जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – मकान नं. 16, पश्चिम – मकान नं. 18, उत्तर – मकान नं. 41, दक्षिण – रास्ता 30 फिट चौडा।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द